अंतिम–डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 1 / 267 / 2023 दायर दिनांकः– 05 / 10 / 2023

जीसीएमएस नं0:–2023 / 499 निर्णय दिनांकः– 14 / 06 / 2024

वउनवान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज0

1. भौंरी पुत्री धर्मसिंह जाति गुर्जर निवासी हनुमानवास तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर हालवासी पाखर प्रथम तहसील महवा दौसा।

——वादी

बनाम

1. विजयसिंह पुत्र छुट्टन जाति गुर्जर निवासी हनुमानवास तहसील लक्ष्मणगढ
2. प्यारसिंह पुत्र छुट्टन जाति गुर्जर निवासी हनुमानवास तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
3. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर
4. तहसीलदार कठूमर बहैसियतलैण्ड होल्डर तहसील कठूमर

—— प्रतिवादीगण

दावा तकसीम व हुक्मइन्तनाई अन्तर्गत धारा–53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः–1.श्री घनश्याम शर्मा–अधिवक्ता वादी

2.श्री मानसिंह चौधर्री–अधिवक्ता प्रतिवादी

3. पैरोकार सरकार, तहसीलदार कठूमर

—:निर्णय:—

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 408 रकबा 1.12 हैक्ट0 वाके ग्राम मोहनवास तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी वादी व प्रतिवादीगण की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज है।उक्त आराजी का अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। लगान सरकारी शामलात में अदा कर रहे है। अब पक्षकारान के मध्य शामलात काश्त करने में आपस में झगडा होते रहते है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी में शामलात में काश्त करने में रूचि नहीं लेते है

14-6-24

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

इस वजह से फसल कम पैदा होती है।वादी विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है। वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के व्यक्ति है, जो विवादित आराजी में वादी के हिस्सा के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है, झगडा करते है, तथा बिना तकासमा कराये विवादित आराजी को रहन बय करना चाहते है।अतः वादी ने विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी तकासमा कराने, प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने व मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये गये। प्रतिवादी सं0 1, 3, 4, रजिस्टर्ड डाक तामील से उपस्थित नहीं आये, उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 14.06.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 जाप्ता दीवानी वादी की सहमती के आधार पर स्वीकार किया जाकर एकपक्षीय कार्यवाही खोली गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दावा के तथ्यों को स्वीकार करते हुये ईकबाल जबाव पेश कर वाद वादी डिक्री किये जाने की सहमती दी। वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 वाके ग्राम मोहनवास की सत्य प्रतिलिपी पेश की है, जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से यह साबित है कि विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने ईकबाल जबाव पेश कर दावा के तथ्यों को स्वीकार किया है तथा कथन किया है बंटवारे में 1/2 हिस्सा तरफ दक्षिण वादीया के पिता धर्मसिंह व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता छुटटन को तरफ उत्तर का घरू बंटवारे में प्राप्त हुआ था। उनके फौत हो जाने पर अपने 1/2 हिस्सा तरफ दक्षिण पर वादीया तथा 1/2 हिस्सा तरफ उत्तर पर प्रतिवादी सं 1 व 2 कबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी को मुताबिक ईकबाल जवाब तकसीम कर दी जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसकी हम उभय पक्ष सहमति देते है। प्रतिवादीगण के ईकबाल जबाव के आधार पर वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

–:आदेश:–

अतः दावा वादी मुताबिक प्रतिवादीगण ईकबाल जबाव के अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 408, रकबा 1.12 हैक्ट0 वाके ग्राम मोहनवास तहसील कठूमर में वादी को 1/2 हिस्सा तरफ दक्षिण तथा प्रतिवादी संख्या

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज0

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

1 व 2 को 1/2 हिस्सा तरफ उत्तर का तकसीम में दिया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेश दिया जाता है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा व तकसीम में मिली आराजी बाबत अलग अलग खाता कायम करें। राजस्व नक्शा में तरमीम करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 14.06.2024 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * कठूमर (अलवर) राज०

14.6.24

सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी:– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या:– 1 / 267 / 2023 दायर दिनांक:– 05 / 10 / 2023

जीसीएमएस नं0:–2023 / 499 निर्णय दिनांक:– 14 / 06 / 2024

वउनवान

1. भौंरी पुत्री धर्मसिंह जाति गुर्जर निवासी हनुमानवास तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर हालवासी पाखर प्रथम तहसील महवा दौसा।

—वादी

बनाम

1. विजयसिंह पुत्र छुट्टन जाति गुर्जर निवासी हनुमानवास तहसील लक्ष्मणगढ
2. प्यारसिंह पुत्र छुट्टन जाति गुर्जर निवासी हनुमानवास तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
3. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर
4. तहसीलदार कठूमर वहैसियतलैण्ड होल्डर तहसील कठूमर

— प्रतिवादीगण

दावा तकसीम व हुक्मइन्तनाई अन्तर्गत धारा–53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः दावा वादी मुताबिक प्रतिवादीगण ईकबाल जबाव के अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 408, रकबा 1.12 हैक्ट0 वाके ग्राम मोहनवास तहसील कठूमर में वादी को 1/2 हिस्सा तरफ दक्षिण तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/2 हिस्सा तरफ उत्तर का तकसीम में दिया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेश दिया जाता है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा व तकसीम में मिली आराजी बाबत अलग अलग खाता कायम करें। राजस्व नक्शा में तरमीम करें।

आज दिनांक 14.06.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय सील से जारी हुई।

14.6.24

सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०